

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर


—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अंतर्गत सुश्री जयश्री सेईवाल व्याख्याता (जीव विज्ञान) राउमावि कुवालिया, गंगरार, चित्तौडगढ़ जिनकी जन्मतिथि 18.03.1970 है। इन्होंने नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 04.07.19 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

सुश्री जयश्री सेईवाल व्याख्याता (जीव विज्ञान) द्वारा 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनो शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 04.07.19 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

रह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित सुश्री जयश्री, के विरुद्ध आज तक:—

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 29/05/19

क्रमांक शि.दि.रा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/स्वै.से.नि./2019-20
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, उदयपुर
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चित्तौडगढ़
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उदयपुर
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, चित्तौडगढ़
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा) मुख्यालय, चित्तौडगढ़
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ़
7. प्रधानाचार्य राउमावि कुवालिया, गंगरार, चित्तौडगढ़
8. संबंधित कार्मिक सुश्री जयश्री सेईवाल व्या. जीव विज्ञान राउमावि कुवालिया गंगरार चित्तौडगढ़
9. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
10. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर